न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 98/2012 **दायरा दिनांक : 02.04.2012**

उनवान

सुन्दरलाल पुत्र कालू, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां मृतक कायम मुकामान –

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र सुन्दरलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2– घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3– मांगी बाई बेवा सुन्दरलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– किशनलाल पुत्र बिरधीलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2– गोपीलाल पुत्र कालू, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3– मांगीलाल पुत्र बिरधीलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– रामकरण पुत्र बिरधीलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– जगदीश पुत्र बिरधीलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

6– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 141/2012 **दायरा दिनांक : 14.05.2012**

उनवान

सुन्दरलाल पुत्र कालू, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां मृतक कायम मुकामान –

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र सुन्दरलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2– घनश्याम पुत्र सुन्दरलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3– मांगी बाई बेवा सुन्दरलाल, जाति मोग्या, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– मदनलाल पुत्र रामचन्द्र, जाति धाकड, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2– नन्द किशोर पुत्र कन्हैयालाल, जाति खाती, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3– केशरीलाल पुत्र माधोलाल, जाति धाकड, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4– छप्पनलाल पुत्र गोपीलाल, जाति धाकड, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

5– मोहनलाल पुत्र देवीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी हरनावदा शाहजी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम व श्री सत्येन्द्र जमोदिया
अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री मदन गोपाल केवडा व श्री राजेन्द्र सुमन
अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 13.11.2017

1– ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2– ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 138/2009 व प्रकरण संख्या – 142/2009 निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2012 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

3– अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में दो दावे पेश किये गये थे । एक दावा संख्या 287/2006 अपीलांट सुन्दर लाल ने रेस्पोडेंटगण के खिलाफ अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया था और यह कथन किया है कि हरनावदाशाहजी, तहसील छीपाबडोद में वादी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 1256 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा स्थित है । इस भूमि पर प्रतिवादीगण ने 8 से 10 वर्ष पूर्व जबरन कब्जा कर लिया है जिसका उन्हें कोई कानूनन अधिकार नहीं है । अतः दावा वादी स्वीकार कर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जाये । एक अन्य दावा रेस्पोडेंट नम्बर 1 किशन लाल ने अपीलांट एवं अन्य के

खिलाफ अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि खसरा नम्बर 1256 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम हरनावदाशाह जी प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते में दर्ज है । आराजी वादी और प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 के पिता बिरधी लाल और प्रतिवादी 1 और 2 के पिता कालू लाल के खाते में सम्भाग से दर्ज थी । बिरधी लाल और कालू लाल ने अपने अपने हिस्से का बंटवार कर लिया था। बिरधी लाल को 1/2 हिस्सा पश्चिमी भाग और कालू लाल को 1/2 हिस्सा पूर्वी भाग में मिला था और बंटवारे के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त थे । कालू लाल की मृत्यु हो जाने पर प्रतिवादी नम्बर 2 के जीवित रहते हुए भी आराजी अकेले प्रतिवादी नम्बर 1 के खाते में दर्ज की गई और शेष 1/2 हिस्से का सहखातेदार बिरधी लाल का नाम दर्ज रहा । राजस्व कर्मचारियों ने जमाबंदी सम्वत 2046–49 में सहखातेदार बिरधी लाल का नाम गलत रूप से हटा दिया और प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदार दर्ज किया जो गैर कानूनी है । बिरधी लाल की मृत्यु हो चुकी है । बिरधी लाल के 4 पुत्र वादी और प्रतिवादीगण 3 लगायत 5 हैं जिन्हें 1/2 हिस्से में सहखातेदार घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.03.2012 प्रकरण किशन लाल बनाम सुन्दर लाल में पारित किया है और इसमें वादीगण का दावा स्वीकार कर उनको 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया है और दूसरा दावा जो कि सुन्दर लाल के द्वारा पेश किया गया था उसे इस निर्णय के आधार पर खारिज किया है । इन दोनों निर्णय से अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

4– अपील संख्या 98/2012 प्रकरण संख्या 138/2009 में पारित निर्णय के खिलाफ पेश की गई है और यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट के खाते में दर्ज थी । किशन लाल का इस पर कभी भी कब्जा नहीं रहा था । इसके बावजूद 1/2 हिस्से का खातेदार रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 को घोषित करने में त्रुटि की

है । बिरधी लाल का इस आराजी पर कोई हिस्सा नहीं था । रेस्पोडेंट नम्बर 3, 4, 5 के द्वारा इकबाली जवाब पेश किया गया था । उन्हें खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता । तनकीयात के निर्णय में रेकार्ड और कानूनी प्रावधान का ध्यान नहीं रखा गया है । अपीलांट ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया था फिर भी इस दावे को कन्सोलीडेट नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

5— अपील संख्या 141/2012 में यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 138/2009 के निर्णय के आधार पर अपीलांट का दावा खारिज किया है जबकि प्रकरण संख्या 142/2009 का पृथक से निर्णय लिखा जाना चाहिए स्पीकिंग आर्डर पारित करना चाहिए । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6— दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

7— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों दावों को जब एक साथ निस्तारित किया गया है तो दोनों दावों को समेकित किया जाना चाहिए और समेकित तनकीयात बनाकर निर्णय पारित किया जाना चाहिए । अपीलांट ने बेदखली का दावा पेश किया था जिस पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । प्रकरण संख्या 138/2009 में पारित निर्णय के आधार पर इस दावे को तथ्यहीन बताते हुए खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंटगण का न तो कोई हक निहित है

और न ही उनका कब्जा है, तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अतः दोनों अपीले स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

8– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सुन्दर लाल और गोपी लाल के पिता कालू लाल का 1/2 हिस्सा था और रेस्पोडेंटगण किशन लाल, मांगी लाल, रामकरण और जगदीश के पिता बिरधी लाल का 1/2 हिस्सा था । रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष को राजस्व रेकार्ड से सिद्ध किया है । गलत रूप से बिरधी लाल का नाम हटा दिया गया था और आराजी तन्हा रूप से सुन्दर लाल के खाते दर्ज की गई है । रेस्पोडेंट ने दस्तावेजी एवं मौखिक रेकार्ड से अपने दावे को सिद्ध किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेंट का दावा डिक्री किया है । दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये ।

9– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रकरण संख्या 138/2009 में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई है जो पत्रावली में सलंग्न है । यह 5 तनकीयात दिनांक 06.05.2009 को कायम की गई है । दूसरा दावा सुन्दर लाल के द्वारा अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है उसमें भी दिनांक 06.05.2009 को 5 तनकीयात कायम की गई है जो पत्रावली पर पृष्ठ संख्या 7 पर सलंग्न है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 138/2009 में पारित निर्णय के आधार पर इस दावे को खारिज किया है और इस दावे में कायम की गई तनकीयात की विवेचना नहीं की है जब कि विधि अनुसार यदि दोनों दावों को समेकित किया जाता है तो पहले तो आदेशिका में समेकन का आदेश अंकित किया जाना

चाहिए और फिर दोनों दावों में कायम की गई तनकीयात को समेकित करते हुए एक साथ निर्णय पारित किया जाना चाहिए । इस प्रकार एक दावे में पारित निर्णय के आधार पर दूसरे दावे कीं बिना तनकीयात की विवेचना किये खारिज नहीं किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रकरण संख्या 142/2009 त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । चूंकि दोनों प्रकरण एक दूसरे से सम्बन्धित हे और पक्षकार भी समान है, इस कारण दोनों प्रकरणों में तनकीयात को समेकित करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है ।

10– उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 98/2012 एवं 141/2012 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.03.2012 प्रकरण संख्या 142/2009 और प्रकरण संख्या 138/2009 अपास्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 9 में किये गये विवेचन के अनुसार दोनों दावों को समेकित कर समेकित तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.01.2018 को उपस्थित होवें ।

12– निर्णय आज दिनांक 13.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा